

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
लेखापरीक्षा भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

परिपत्र सं. 03

सं.प्रनिलेप(के)/प्रशा./युनिट-1/11-04/2021-22/17

दि.10.05.2021

विषय- कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय -के संबंध में।

कोविड -19 के प्रसार के दर में घातांकी वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु निवारक उपायों के भाग के रूप में, तामिलनाडू सरकार ने इसके प्रेस विज्ञप्ति संख्या 08 दिनांक 08.05.2021 के तहत 10.05.2021 के सूबह 4.00 बजे से 24.05.2021 के सूबह 4.00 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। तामिलनाडू सरकार की उपरोक्त घोषणा को ध्यान में रखते हुए एवं स्थानीय सरकार के निर्देशों का पालन करने की कार्यालयों को सलाह देने वाले मुख्यालय के दिनांक 06/05/2021 के पत्र को भी ध्यान में रखते हुए तथा स्टाफ में कोविड-19 के प्रसार के निवारण हेतु समुचित कदम उठाने के लिए, निम्न निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय, चेन्नै, शाखा कार्यालय मदुरै सहित **10.05.2021** से **23.05.2021** तक बंद रहेंगे एवं सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उस तिथी तक घर से कार्य करेंगे।
2. अधिकारी /कर्मचारी जो घर से कार्य कर रहे हैं, उन्हें सदा(सभी समयों पर) संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं टेलीफोन पर उपलब्ध रहना होगा। उन्हें किसी भी परिस्थितियों में अपने छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी से आवश्यक छुट्टी/अनुमति लिए बिना स्टेशन नहीं छोड़ना चाहिए।
3. यदि आवश्यकता हो तो, अधिकारी एवं कर्मचारी जिन्हें "आवश्यक सेवा" देने की आवश्यकता है उनके संबंध में आदेश उचित समय पर अलग से अधिसूचित किये जायेंगे।
4. वे कोविड -19 प्रबंधन के संबंध में, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
5. ये आदेश 23.05.2021/अगले आदेश तक लागू रहेंगे।

(प्रनिलेप(के) के दिनांक 10-05-2021 के आदेशानुसार)

हस्ता/10.05.2021
उपनिदेशक/प्रशासन

प्रति
अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार